न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—92/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/92)

1. शम्भूसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्दला
2. लालसिंह पुत्र केसरसिंह (मृतक जरिए वारिसान)
   2/1 भंवर कंवर पत्नि लालसिंह
   2/2 जसपाल पुत्र लालसिंह
   2/3 बलवीरसिंह पुत्र लालसिंह
   2/4 सीमाकंवर पुत्री लालसिंह समस्त जातिगण राजपूत निवासी ग्राम नान्दला नसीराबाद
3. प्रहलादसिंह पुत्र केसरसिंह
4. प्रेमकंवर पुत्री दशरथसिंह
5. धारासिंह पुत्र दशरथसिंह
6. विजयसिंह पुत्र दशरथसिंह
7. राजकंवर पुत्री दशरथसिंह
8. लक्ष्मणसिंह पुत्र देवीसिंह
9. नारायणसिंह पुत्र नरभूसिंह समस्त जातिगण राजपूत निवासी ग्राम नान्दला नसीराबाद जिला अजमेर
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद राजस्व वाद संख्या 147/2018

उपस्थितः—

1. श्री नवीन गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री चरणसिंह रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 2/3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 10
4. रेस्पोडेंट संख्या 2/1, 2/2, 2/4, 3 से 9 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—09.09.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 147/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलार्थी एवं शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत

किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण को समुचित अवसर देने उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बंद किया गया। राजस्थान पैरोकार ने जवाब पेश नहीं करना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नसीराबाद को उभयपक्ष की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.01.2025 को पक्षकारों की अनुपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रतिप्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 147/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2/1, 2/2, 2/4, 3 से 9 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के हाल खाता नम्बर 501 व 498/331 के संबंध में रेस्पोडेन्ट सख्या 1 भवरसिंह पुत्र केसरसिंह के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नसीराबाद के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 का प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी की सहखातेदारी की आराजी है जिसका विधिक विभाजन नहीं हुआ है व उक्त विधिक विभाजन के अभाव में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी उत्पन्न करते है। जिससे कि वादग्रस्त आराजी का विधि अनुसार विभाजन किया जाना आवश्यक है। उक्त वादपत्र को दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दर्ज कर प्रस्तुत वादपत्र के प्रति आक्षेप दर्ज कराये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षो को सूनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार नसीराबाद को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने बाबत निर्देशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में कार्यालय पटवार हल्का नान्दला से अपीलार्थी को विभाजन प्रस्ताव तैयार व मौका निरीक्षण हेतु दिनांक 07.01.2025 को उपस्थित होने का नोटिस दिया गया। जिस पर बिना किसी कारण दर्शित किये विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.01.2025 को तैयार ना करके दिनांक 08.01.2025 को तैयार किया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से व अपीलार्थी के हित व अधिकारों के विपरित होने से स्वीकार योग्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.12.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नसीराबाद के द्वारा तैयार किया जाना था जो कि राजस्व नियम 18 से 21 के आवश्यक प्रावधान है के बावजूद विभाजन प्रस्ताव पटवारी व भू. अ. निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया जो कि मौका रिपोर्ट में अंकित कथन कार्यालय पटवार मण्डल नान्दला से जारी नोटिस दिनांक 26.12.2024 की पालना में से स्पष्ट है जबकि मान्य न्यायालय राजस्व मण्डल एवं मान्य उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2022 (1) पेज 61 ILR And The patwari are not legaly Authorised to prepar to partation proposals व आर आर टी 2022 (1) के पेज नम्बर 390 Only Tehsildar is competent to prepare the partition proposal से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार महोदय के द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिऐ जबकि

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवश्यक न्यायिक दृष्टान्त को दरकिनार कर व उक्त न्यायिक प्रक्रिया के अभाव में आक्षेपित अंतिम डिक्री पारित की गयी जो कि अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। न्यायालय के द्वारा ही हाल ही में निर्णित प्रकरण संख्या 151/2020 उनवानी रामपाली बनाम गोरधन में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2025 में भी इस विधिक बिन्दू को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि राजस्थान टिनेन्सी के नियम 1955 के नियम 18 से 21 बाध्यकारी है जिसके तहत तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर विभाजन हेतु प्रस्ताव तैयार करेगा। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 147/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम नान्दला के खाता संख्या 499 के खसरा नम्बर 407 रकबा 0.06 खाता संख्या 501 के खसरा नम्बर 67 रकबा 0.08, खाता संख्या 498/331 किता 17 रकबा 5.57 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की है। उक्त आराजी का राजस्व अभिलेख में विभाजन नहीं हुआ है किन्तु सुविधा की दृष्टि से पक्षकारान ने मौके पर भूमि को बांट रखा है। उभयपक्ष आराजी मुतनाजा पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण आराजी का विभजन नहीं करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण का निस्तारण दिनांक 27.01.2025 को करते हुए वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार मौका पर्चा/कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 08.01.2025 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार, भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा उभयपक्षकारान के समक्ष बनाई गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कुर्रेजात रिपोर्ट बाबत उभयपक्षकारान को नोटिस भी जारी किए गए है। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्णतः पालना करते हुए बनाई गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की तकनीकि त्रुटि कारित नहीं हुई है। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को वह साबित कर पाने में विफल रहे है, क्यों कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किस प्रकार त्रुटि कारित की गई है, जरिए दस्तावेजात व मौखिक कथनों से यह बताने में असफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय

न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव में किसी पक्षकार का हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में अंकित हक हिस्से अनुसार ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बनाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को प्रेषित की गई है तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिसंगत निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय संगत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2025 में किसी प्रकार कि विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय द्वारा करते हुए उक्त निर्णय को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 147/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर